न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम रामलाल यादव

मुकदमा नम्बर 36/2026/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

27.03.2026	पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी रामलाल यादव पुत्र नंदाराम यादव निवासी ढ़ाणी नया कुआ ग्राम अरनिया तह. श्रीमाधोपुर मैसर्स– श्री बालाजी दुध भण्डार, पीसीपी कोचिंग के पास, संजय रेस्टोरेंट वाली गली पिपराली रोड़, सीकर उपस्थित। अप्रार्थी ने उपस्थित आकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.09.2025 को निरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना लिया गया। उक्त नमूना Sub-standard का पाया गया। प्रार्थी का छोटा कारोबार है एवं प्रकरण में प्रार्थी के कारोबार को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–5154 खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Sub-standard का पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु अनुरोध किया। प्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी के 15,000/– रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरूद्व इस अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। 27/3/26 न्याय निर्णायक अधिकारी एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट) सीकर (राज.)